संख्या-015/वीजीएल/091
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 13.01.2017

**परिपत्र सं-02/01/2017**

**विषय: सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण - संशोधित मानक परिचालन प्रक्रिया संबंधी।**

दिनांक 18.05.2009 के परिपत्र सं0 10/05/09 द्वारा सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण के लिए जारी की गई मानक परिचालन प्रक्रिया की आयोग ने समीक्षा की है तथा सरकारी विभागों/संगठनों में सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण के लिए एक संशोधित मानक परिचालन प्रक्रिया प्रतिपादित की है। इसकी एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

ह0-
(जे.विनोद कुमार)
निदेशक

प्रति

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ संगठनों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष।
3. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संगठनों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।

विषय: सत्यनिष्ठा संधि अंगीकरण - मानक परिचालन प्रक्रिया संबंधी।

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 सार्वजनिक प्रापण में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए, आयोग, सरकारी संगठनों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि की संकल्पना अंगीकरण करने एवं इसे क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश करता रहा है।

1.2 केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 04.12.2007 के अपने कार्यालय आदेश सं0 41/12/07 तथा दिनांक 28.12.2007 के आदेश सं0 43/12/07 तथा दिनांक 19.05.2008 के परिपत्र सं0 18/05/08 तथा दिनांक 05.08.2008 के परिपत्र सं0 24.08.08 के माध्यम से सभी संगठनों से सत्यनिष्ठा संधि के अंगीकरण की सिफारिश की तथा सरकारी संगठनों में बड़े प्रापण के संबंध में इसके क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। आयोग के दिनांक 18.05.2009 के आदेश सं0 10/5/09 द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। आयोग ने दिनांक 11.08.2009 तथा 19.4.2010 के परिपत्रों द्वारा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा योग्यता मानदंडों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था। आयोग द्वारा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के लिए समीक्षा प्रणाली दिनांक 13.08.2010 के परिपत्र द्वारा संशोधित की गई थी तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के कार्यकाल के संबंध में स्पष्टीकरण दिनांक 23.07.2012 के परिपत्र द्वारा जारी किया गया था।

1.3 व्यय विभाग ने दिनांक 19.7.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ विभागों तथा स्वायत्त निकायों को दिशानिर्देश जारी किए। साथ ही, व्यय विभाग ने दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग से अनुरोध किया था कि सत्यनिष्ठा संधि का उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निदेश दिया जाए।

1.4 इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों की बढ़ती प्रापण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 25.02.2015 के परिपत्र सं0 02/02/2015 द्वारा सलाह दी थी कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां तथा वित्तीय संस्थान भी सत्यनिष्ठा संधि अपनाएं तथा इसका कार्यान्वयन करें।

2.0 सत्यनिष्ठा संधि

2.1 यह संधि मुख्य रूप से प्रत्याशित विक्रेताओं/बोलीदाताओं तथा खरीददारों के मध्य एक अनुबंध पर विचार करती है। यह संधि दोनों पक्ष के व्यक्तियों/अधिकारियों को ठेके के किसी भी पहलू/चरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को आश्रय ना देने के लिए प्रतिबद्ध करती है। केवल वही विक्रेता/बोलीदाता, जो खरीददार के साथ ऐसी संधि के लिए प्रतिबद्ध होते है, उन्हें ही बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम समझा जाएगा। अन्य शब्दों में, इस संधि को स्वीकार करना प्रारंभिक योग्यता मानी जाएगी। संधि के मुख्य अंश में निम्न शामिल हैं:-

- **स्वामी की ओर से यह वायदा कि वह ऐसे किसी लाभ की मांग या स्वीकार नहीं करेगा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;**
- **स्वामी का सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्षता और तर्कपूर्ण व्यवहार करना;**
- **स्वामी के कर्मचारियों को ऐसा कोई लाभ ना देने के लिए बोलीदाताओं की ओर से वायदा, जो कानूनी रूप से उपलब्ध नहीं है;**
- **बोलीदाताओं को मूल्यों, विनिर्देशनों, प्रमाण पत्रों, सहायक ठेकों आदि के संबंध में अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी प्रकार का गुप्त अनुबन्ध या समझौता नहीं करना है;**
- **व्यापारिक संबंधों के अंतर्गत बोलीदाताओं को स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी सूचना अन्य लोगों को नहीं देनी चाहिए तथा पीसी/आईपीसी अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं करना चाहिए;**
- **विदेशी बोलीदाताओं को भारत में अपने एजेन्ट्स तथा प्रतिनिधियों के नाम एवं पते बताने होंगे तथा भारतीय बोलीदाताओं को अपने विदेशी स्वामियों या सहयोगियों के नाम एवं पते बताने होंगे;**
- **एजेन्टों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए गए भुगतान की जानकारी, बोलीदाताओं द्वारा प्रकट की जाएगी ;**
- **बोलीदाताओं को किसी अन्य कंपनी के साथ हुए ऐसे किसी भी अपराध की जानकारी देनी होगी, जो भ्रष्टाचार रोधी सिद्धान्त के विरूद्ध हो।**

**2.2 एक ठेके के संबंध में, दोनों पक्षों द्वारा सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से ठेके की समाप्ति तक सत्यनिष्ठा संधि क्रियाशील रहेगी। इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर बोलीदाताओं को अयोग्य माना जाएगा तथा उन्हें भविष्य के व्यापार कार्य से निष्कासित कर दिया जाएगा।**

## 3.0 <u>कार्यान्वयन प्रक्रिया</u>

3.1 जैसा कि व्यय विभाग के दिनांक 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है, मंत्रालय/विभाग संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श के साथ तथा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के साथ निर्णय लें तथा प्रापण/ठेके की प्रकृति का निर्धारण करें तथा उस अवसीमा मूल्य का निर्धारण करें जिससे अधिक के लिए सत्यनिष्ठा संधि का प्रयोग उनके द्वारा अथवा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पूर्ण किए गए खरीद सौदों/ठेकों के संबंध में किया जाएगा।

3.2 उपर्युक्त प्रावधान स्वायत्त निकायों द्वारा की गई प्रापण के लिए भी लागू होता है जिसके लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, प्रापण/ठेकों तथा अवसीमा मूल्य की प्रकृति निर्धारित करें जिससे अधिक होने पर सत्यनिष्ठा संधि का उपयोग किया जाएगा।

3.3 प्रापण/ठेकों के संबंध में भविष्य में जारी किए जाने वाले उन प्रस्ताव/निविदा दस्तवेजों के सभी अनुरोधों में सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधान को शामिल किया जाना है जो उपर्युक्त पैरा 3.1 तथा 3.2 के अनुसरण में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

3.4 निविदाओं में यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति आयोग द्वारा की गई है। सभी निविदाओं में, जहाँ तक संभव हो सके निविदा में एकल स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को नामित करने के स्थान पर सभी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों का विवरण दिया जाए।

3.5 संगठन का क्रय/प्रापण खण्ड, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र बिन्दु होगा।

3.6 सतर्कता विभाग, सभी सम्बद्ध सतर्कता मामलों पर समीक्षा, प्रवर्तन तथा रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

3.7 ठेके में उचित प्रावधान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्यनिष्ठा संधि को ठेके का एक भाग समझा जाए ताकि संबंधित पक्ष इसके प्रावधानों से बंधे रहें।

3.8 संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के एक पैनल के माध्यम से सत्यनिष्ठा संधि का कार्यान्वयन किया जाएगा। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेंगे तथा इस संधि के अंतर्गत सभी पक्ष अपने दायित्वों का पालन किस प्रकार और किस सीमा तक कर रहे हैं।

3.9 सत्यनिष्ठा संधि के सिद्धांतों का व्यापक और यथार्थ में अनुपालन करने के लिए यह वांछनीय होगा कि घनिष्ठता और भरोसा बनाने के एक उपाय के रूप में विक्रेता समय-समय पर मिलते रहें।

3.10 सत्यनिष्ठा संधि में एक खण्ड यह शामिल करना चाहिए कि सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को मामलों का अभ्यावेदन देते समय न्यायालय नहीं जाएगा तथा वह मामले में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के निर्णय का इंतजार करे।

3.11 उप-ठेके के मामले में, मुख्य ठेकेदार की जिम्मेवारी है कि उप-ठेकेदार सत्यनिष्ठा संधि को स्वीकार करे।

3.12 सत्यनिष्ठा संधि के अंतर्गत आने वाले प्रापण/ठेकों के संबंध में सूचना तथा इनकी प्रगति/स्थिति के संबंध में सूचना स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के साथ मासिक आधार पर साझा करनी होगी।

3.13 सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेवारी संगठन के सीएमडी/सीईओ की है।

## 4.0 <u>स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की भूमिका एवं कार्य</u>

4.1 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को जब भी आवश्यकता हो तो वह सभी ठेका दस्तावेजों को देख सकते हैं।

4.2 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को संगठन के मुख्य कार्यकारी के साथ त्रैमासिक आधार पर संरचित बैठक करना तथा एक वार्षिक बैठक करना वांछनीय होगा जिसमें पिछली तिमाही के दौरान प्रदान की गई निविदाओं पर चर्चा/समीक्षा की जाएगी। तथापि, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें भी की जा सकती हैं।

4.3 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक, उनको प्राप्त सभी शिकायतों की समीक्षा करेंगे तथा संगठन के मुख्य कार्यकारी को अपनी सिफारिश/दृष्टिकोण अतिशीघ्र प्रस्तुत करेंगे। गंभीर अनियमितताओं के संदेह के मामले में जिनमें कानूनी/प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता है, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक अपनी रिपोर्ट

सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी और आयोग को भी भेज सकते हैं। जहाँ तक संभव हो, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायतों पर अपनी सलाह 10 दिनों के भीतर दें।

4.4 किसी भी निविदा प्रक्रिया से उत्पन्न शिकायत पर कार्रवाई करने में अपेक्षित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ तक संभव हो सके मामले की संयुक्त रूप से स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पूर्ण पैनल द्वारा संवीक्षा होनी चाहिए, जो रिकार्ड को देखेंगे, जांच संचालित करेंगे तथा प्रबंधन को अपनी संयुक्त सिफारिश प्रस्तुत करेंगे।

4.5 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की संवीक्षा करनी चाहिए, उनसे अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। संगठन के किसी अधिकारी के विरूद्ध कदाचार के आरोपों वाली शिकायतों को संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा देखा जाना चाहिए।

4.6 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की भूमिका परामर्शी है, इसे कानूनी रूप से मानना बाध्यकारी नहीं है तथा यह निविदा के किसी भी पहलू के संबंध में इच्छुक बोलीदाता द्वारा उठाए गए उन मुद्दों को सुलझाने तक सीमित है, जो कथित रूप से प्रतिस्पर्धा को प्रतिबन्धित करते हैं या कुछ बोलीदाताओं का पक्षपात करते हैं। साथ ही, यह अवश्य समझना चाहिए कि स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक , प्रबंधन के सलाहकार नहीं हैं। उनकी भूमिका की प्रकृति स्वतंत्र होती है तथा एक बार सलाह देने के बाद संगठन के अनुरोध पर उसकी समीक्षा नहीं होगी।

4.7 वारंटी/गारंटी आदि मुद्दे, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने चाहिए।

4.8 सभी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को संगठन के साथ, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है, अप्रकटन अनुबंध हस्ताक्षर करना चाहिए । उनको हित के मतभेद की अनुपस्थिति के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है।

4.9 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अन्य कार्य जैसे दूसरे संगठनों या एजेन्सियों के साथ परामर्शी कार्य लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यदि वह यह घोषणा पत्र देता है कि उसके अन्य कार्य का वर्तमान कार्य के साथ कोई हित मतभेद नहीं होता है। बाद में किसी संगठन से जहाँ वह परामर्शदाता है या रहा/रही है, यदि कोई हित का मतभेद उत्पन्न होता है, तो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को सीईओ को सूचित करना चाहिए तथा अपने आप को मामले से अलग कर लेना चाहिए।

4.10 सभी संगठन, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को सचिवालय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वह स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर अपना कार्य कर सकें।

4.11 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक द्वारा किए गए कदाचार के किसी मामले में, सीएमडी/सीईओ कदाचार का विवरण देते हुए इसे आयोग के ध्यान में लाएं ताकि आयोग की ओर से उचित कार्रवाई की जा सके।

4.12 संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक द्वारा जांच किए जा रहे किसी मामले को मुख्य सतर्कता अधिकारी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के अनुसरण में पृथक

रूप से जांच कर सकते हैं बशर्ते वह शिकायत उन्हें सीधी प्राप्त हुई हो या आयोग द्वारा निदेश दिया गया हो।

## 5.0 <u>स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति</u>

5.1 नियुक्त किए गए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक, ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। आयोग इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करता है तथा उन व्यक्तियों की एक सूची बनाता है जिन्हें स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद के लिए नियुक्त किया जाना है। सूची में नाम शामिल करने से पहले आयोग पृष्ठभूमि की स्वतंत्र एवं गहन जांच कर सकता है।

5.2 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक का चुनाव सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक सीमित रहना चाहिए, जो भारत सरकार के अपर सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी या समकक्ष वेतनमान के स्तर के पद से सेवानिवृत्त हों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनुसूची `क` कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों में बोर्ड स्तर अधिकारी हों। सैन्य बल के अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष स्तर तथा उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त हों, इस पद के लिए उनपर भी विचार किया जा सकता है।

5.3 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर नियुक्ति के लिए, संगठन को उपयुक्त व्यक्तियों की सूची आयोग को भेजनी होती है। इस सूची में वे शामिल हो सकते हैं, जो आयोग द्वारा रखी गई सूची में हैं अथवा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद के लिए, वे अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव दे सकते हैं। उपयुक्त व्यक्तियों की सूची भेजते समय, संगठन सभी प्रस्तावित नामों के संबंध में विस्ततृ जीवन-वृत्त संलग्न करेगा। इन विवरणों में सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्ति से पहले के 10 सालों के दौरान तैनाती का विवरण, विशेष उपलब्धियाँ, अनुभव आदि होगा। यह वांछनीय है कि प्रस्तावित व्यक्ति को सार्वजनिक उपक्रम के कार्यकलापों का अनुभव हो अथवा जिस क्षेत्र में उन्हें कार्य करना है, उसका उन्हें अनुभव हो।

5.4 संगठन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक पद के लिए, आयोग उस अधिकारी/कार्यकारी के नाम पर विचार नहीं करेगा जो कार्यरत हैं या उसी संगठन से सेवानिवृत्त हुए हैं जहाँ उन्हें स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नियुक्त किया जाना है भले ही वे उच्च प्रबंधन स्तर पर सेवा कर चुके हों।

5.5 नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतम तीन स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नियुक्त किए जा सकते हैं तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय कंपनियों में अधिकतम दो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नियुक्त किए जा सकते हैं।

5.6 एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम तीन संगठनों में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

5.7 स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए होगी तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति करने वाले संगठन से आयोग में प्राप्त अनुरोध पर दो वर्षों के लिए कार्यकाल विस्तार किया जा सकता है। एक स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक का संगठन में तीन वर्षों का प्रारंभिक कार्यकाल तथा दो वर्षों के दूसरे कार्यकाल के साथ 5 वर्षों का अधिकतम कार्यकाल हो सकता है।

5.8 नियुक्ति के समय/कार्यकाल के विस्तार के समय आयु 70 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.9 संबंधित संगठन द्वारा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को देय पारिश्रमिक संगठन में एक स्वतंत्र निदेशक को देय के समकक्ष होगा तथा किसी भी तरह से प्रति बैठक 20000/- रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को दिया जा रहा पारिश्रमिक बदला नहीं जा सकता ताकि उनके कार्यकाल के दौरान उनको हानि ना हो।

5.10 नियुक्ति की शर्तों तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को देय पारिश्रमिक सत्यनिष्ठा संधि में या एनआईटी में शामिल नहीं करना चाहिए। संबंधित स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को इसके बारे में पृथक से सूचित कर दिया जाना चाहिए।

## 6.0 <u>समीक्षा प्रणाली</u>

सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वित करने वाले सभी संगठन, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा तथा आकलन करेंगे तथा आयोग को प्रगति रिपोर्ट देंगे। जब भी आवश्यक होगा, सभी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कार्यान्वयन की स्थिति की सूचना आयोग को देगें।

7.0 सभी संगठनों से कहा जाता है कि सत्यनिष्ठा संधि की भावना और सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए सच्चा और सतत प्रयत्न करें तथा इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें।